

केंद्रीय एक्साइज आयुक्त, जयपुर

बनाम

महावीर एल्यूमीनियम लिमिटेड

11 मई, 2007

[अशोक भान, न्यायमूर्ति और सी. के. ठक्कर, न्यायमूर्ति]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944:

धारा 2(च)- मध्यवर्ती चरण के दौरान पुनः पिघला कर तथा अन्य मिश्र धातुओं को मिलाये जाने की प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमीनियम इनगोट्स एल्यूमीनियम बिलेट में परिवर्तन करना विनिर्माण के समान है। बिलेट इंगोट से अलग वाणिज्यिक वस्तु है, जिसकी अलग और पहचान योग्य विपणन क्षमता है, इसलिए यह उत्पाद शुल्क लगाने योग्य है।

निर्धारिती, मध्यवर्ती चरण के दौरान फिर से पिघलाने की तथा अन्य मिश्रित धातुओं को मिलाये जाने की प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमीनियम इनगोट्स को एल्यूमीनियम बिलेट में परिवर्तित कर रहा था। एल्यूमीनियम बिलेट का उपयोग एल्यूमीनियम सिंचाई पाईप का विनिर्माण करने हेतु किया जा रहा था। निर्धारिती उक्त वस्तु को बाजार में उत्पाद शुल्क के साथ बेच रहा था।

आयुक्त ने कैंपिटिव खपत के लिए एल्यूमीनियम बिलेट की निकासी के लिए मांग नोटिस जारी किया। मांग की पुष्टि की गई। अपील पर, सी.ई.जी.ए.टी. ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती द्वारा पिघलने वाली इंगोट को निष्कर्षण के उद्देश्य से गोल इनगोट्स में बनाने की प्रक्रिया 'विनिर्माण' के बराबर नहीं है और कर योग्य वस्तु अलग-

अलग रूप में होने के बावजूद समान ही रही है। पीडित विभाग ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि

1. "विनिर्माण/निर्माण' शब्द एक क्रिया है, आम तौर पर इसका अर्थ "एक नए पदार्थ को अस्तित्व में लाना" के रूप में समझा जाता है और इसका अर्थ केवल "किसी पदार्थ में कुछ परिवर्तन पैदा करना नहीं है, चाहे परिणाम में परिवर्तन कितना भी मामूली क्यों न हो" [पैरा 14] [427-सी]

भारत संघ और ए.एन.आर. वी. दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कं. लिमिटेड और अन्य, [1963] पूरक 1 एस.सी.आर. 586; एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, [1985] 3 एस.सी.सी. 314; यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। [1986]एस.सी.सी. 423[2007] 6 एस.सी.आर. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 547 और भारत संघ और अन्य। वी. जे. जी. ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, [1998] 2 एस.सी.सी. 32, पर भरोसा किया।

2. इंगोट(धातु खण्ड) और बिलेट दो अलग-अलग वाणिज्यिक वस्तुएँ हैं, जिनकी अलग, विशिष्ट पहचान योग्य विपणन क्षमता तथा बिक्री योग्यता है। निर्धारिती ने एल्यूमीनियम बिलेट्स का उपयोग आकर्षक रूप में कर रहा था तथा वह उसे यह खुले बाजार में बेच रहा है। इसलिए, आयुक्त का यह मानना सही था कि निर्धारिती उत्पाद शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। [पैरा 21] [428-ई]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6197/2001

सी.ई.जी.ए.टी, नई दिल्ली के संख्या 208/2001-बी और संख्या ई-3172/2000 के अंतिम आदेश निर्णय दिनांक 25.04.2001 से।

वी. शेखर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुधीर के. सजवान, जी. प्रकाश और पी. परमेश्वरन अपीलार्थी के लिए।

ए. आर. माधव राव और मोनिश पांडा (एम. पी. देवनाथ के लिए) प्रत्यर्थी के लिए

न्यायालय का निर्णय दिया गया:-

सी. के. ठक्कर, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपील में हमारे समक्ष एक संक्षिप्त प्रश्न हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है कि क्या मध्यवर्ती प्रक्रिया के दौरान पुनः पिघलने तथा अन्य धातुओं को मिलाकर एल्यूमीनियम इंगोट को एल्यूमीनियम बिगेट में रूपांतरण करने की प्रक्रिया केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 2 (च) के अन्तर्गत परिभाषित 'विनिर्माण' के बराबर होती है और क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क उस पर प्रभाय है?

2. मामले के तथ्य यह हैं कि मैसर्स महावीर एल्यूमीनियम लिमिटेड, भिवाड़ी (इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के अध्याय 76 के तहत आने वाले एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्माण में लगा हुआ था। निर्धारिती एल्यूमीनियम बिलेट्स का निर्माण कर रहा था और शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त एल्यूमीनियम सिंचाई पाइपों के निर्माण के लिए इसका उपयोग कर रहा था। निर्धारिती उत्पाद शुल्क का भुगतान करके उक्त वस्तु को बाजार में भी बेच रहा था।

3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर (इसके बाद 'राजस्व' के रूप में संदर्भित) का मामला यह था कि निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 बी के तहत दाखिल वर्गीकरण सूचियों/घोषणाओं में तथ्यों का उल्लेख नहीं किया और न ही कैप्टिव खपत और एल्यूमीनियम सिंचाई पाइप के उत्पादन के लिए उपयोग

किए जाने वाले एल्यूमीनियम बिलेट के उत्पादन से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। इसलिए जनवरी 2, 1996 को निर्धारिती को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि कैप्टिव खपत के लिए एल्यूमीनियम बिलेट की निकासी तथा उसका उपयोग खपत उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट प्राप्त निर्माणों के तथ्यों को दबाने के कारण 1,16,56,476/- की राशि क्यों ना शुल्क के रूप में वसूल की जानी चाहिए और साथ ही जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

4. 8 अगस्त, 1997 के मूल आदेश के अनुसार, रु. 44,35,637/- जून, 1995 और दिसंबर, 1995 के बीच की अवधि के लिए पुष्टि की गई थी। छह महीने की अवधि से पूर्व की मांग को समय अवधि से बाधित करार दिया गया तथा Rs.10,00,000/- का जुर्माना भी लगाया गया था।

5. मूल आदेश के खिलाफ निर्धारिती द्वारा एक अपील दायर की थी, जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में सी.ई.जी.ए.टी.) द्वारा 16 फरवरी, 2000 को स्वीकार की गयी, जिसमें आयुक्त द्वारा पारित मूल आदेश को अपास्त कर दिया गया और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निस्तारण हेतु भेज दिया गया।

6. आयुक्त द्वारा निर्धारिती को सुनवायी का अवसर दिया गया और पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करते हुए, आयुक्त ने माना कि एल्यूमीनियम बिलेट पिघलने की प्रक्रिया द्वारा एल्यूमीनियम स्क्रेप, इंगोट और अन्य मिश्र धातु सामग्री के रूपांतरण के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया था। इस प्रकार बिलेट एक ऐसी वस्तु है जो इंगोट्स से अलग है। आयुक्त ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि "एल्यूमीनियम बिलेट, आकर्षक रूप से उपयोग किए जाने के अलावा, 15 प्रतिशत की दर से शुल्क के भुगतान को चिन्हित किये जाते हुए निर्धारिती द्वारा बेचे गए थे।"

7. आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला कि उपर्युक्त पैरा ए में विश्लेषित प्रक्रिया के अनुसार क्या एल्यूमीनियम बिलेट, जो मध्यवर्ती चरण में निर्धारिती द्वारा उत्पादित किये गये हैं, विनिर्माण की श्रेणी में आते हैं? इस संबंध में मैंने पाया कि बिलेट एक भिन्न वस्तु के रूप में एल्यूमीनियम और अन्य मिश्र धातुओं के सिल्लों/स्क्रेप के पिघलने के परिणामस्वरूप बना है तथा विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग के अनुसार और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अनुसार ये ऐसी वस्तुएं हैं जो आमतौर पर बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। निर्धारिती भी उस वस्तु को एल्यूमीनियम सिंचाई पाईप के निर्माण हेतु कैप्टिव खपत के अलावा बाजार में बेच रहा था। इस प्रकार, एल्यूमीनियम बिलेट पूरी तरह से एल्यूमीनियम इंगोट से भिन्न उत्पाद है, जिसका बाजार को पता है और इसका अलग उपयोग और चरित्र है। निर्धारिती के मामले में भी वे एक्सट्रूडेड पाईप का निर्माण एल्यूमीनियम इंगोट से नहीं कर सकते हैं। तदनुसार एल्यूमीनियम सिल्लियाँ और बिलेट पूरी तरह से अलग वस्तु हैं। (जोर दिया गया)

8. इसलिए उनका मानना था कि एल्यूमीनियम बिलेट्स का उत्पादन एल्यूमीनियम इंगट्स/स्क्रेप्स और अन्य मिश्र धातु सामग्री अधिनियम की धारा 2(च) के अर्थ के भीतर निर्माण' के बराबर थी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 76 के उप-शीर्षक 7601.10 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाय थी।

9. आयुक्त के द्वारा पारित उक्त मूल आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती के द्वारा सी.ई.जी.ए.टी. में अपील की। सी.ई.जी.ए.टी. ने पाया कि निर्धारिती द्वारा उठाए गए तर्क में सार था कि निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया, जिसमें पिघलने वाली इंगोट का गोल इंगोट में निष्कर्षण 'निर्माण' के बराबर नहीं था और अलग स्वरूप में कर योग्य वस्तु बनी रही। सी.ई.जी.ए.टी. ने कहा कि "केवल आकार या पदार्थ के भौतिक रूप में परिवर्तन निर्माण के बराबर नहीं है"। अतः इसने अपील स्वीकार की तथा आयुक्त द्वारा

पारित आदेश को रद्द कर दिया। उक्त आदेश को राजस्व द्वारा इस न्यायालय में चुनौती दी गई है।

10. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

11. राजस्व के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया था कि सी.ई.जी.ए.टी. ने यह मानने में कानून की त्रुटि की है कि वस्तु एक और वही बनी हुई है और केवल रूप बदल दिया गया था और इस प्रकार वहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ था तथा विभाग द्वारा कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सका।

12. दूसरी ओर, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि सी.ई.जी.ए.टी. का यह मानना सही था कि वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए कोई 'निर्माण' नहीं था। एक्सट्रूजन इंगोट्स, जिन्हें गोल सिल्लियों या बिलेट के रूप में भी जाना जाता है, जो अध्याय 7601 के तहत निर्मित एल्यूमीनियम एक ही कर योग्य वस्तु के अलग-अलग स्वरूप हैं। पिघले हुए इंगोट को एक्सट्रूजन इंगोट्स में रूपांतरण 'निर्माण की प्रक्रिया' नहीं है तथा उत्पाद के आकार व प्रकार में परिवर्तन है। इसलिए सी.ई.जी.ए.टी. के आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद, हमारी राय में, अपील स्वीकार की जानी चाहिए। अभिव्यक्ति अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में 'निर्माण' को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

(च) "विनिर्माण" में कोई भी प्रक्रिया शामिल है:

(1) एक निर्मित उत्पाद के पूरा होने के लिए आनुषंगिक या सहायक;

(2) जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के अध्याय टिप्पणियों या धारा में किसी भी वस्तु के संबंध में विनिर्दिष्ट है जो विनिर्माण के समान है (1986 का 5) और "निर्माता" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा और इसमें

शामिल होंगे: न केवल एक व्यक्ति जो उत्पादन में भाड़े के श्रमिकों को नियुक्त करता है या उत्पाद शुल्क, वस्तुओं का निर्माण, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो अपने स्वयं के खाते पर उनके उत्पादन या निर्माण में संलग्न है।

14. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'निर्माण' में धारा 2 (च) के तहत कोई भी प्रक्रिया शामिल है। जैसा कि इस न्यायालय ने चार दशकों से अधिक समय पहले भारत संघ व अन्य बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य, [1963] पूरक 1 एस. सी. आर. 586: AIR (1963) SC 791 में कहा था कि शब्द 'निर्माण' एक क्रिया है। आम तौर पर इसका अर्थ "एक नए पदार्थ को अस्तित्व में लाना" के रूप में समझा जाता है और इसका अर्थ केवल "किसी पदार्थ में कुछ परिवर्तन पैदा करना नहीं है, यद्यपि परिणाम में परिवर्तन छोटा हो सकता है"।

15. एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, [1985] 3 एस. सी. सी. 314, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उत्पाद शुल्क कानून के तहत कर योग्य घटना 'निर्माण' है। जिस क्षण परिवर्तन से एक नयी वस्तु उत्पन्न हो, जो व्यावसायिक रूप से अलग हो तथा जिस वस्तु का अलग अपना चरित्र और नाम हो, चाहे वह एक प्रक्रिया का परिणाम हो या कई प्रक्रियाओं का 'निर्माण' कहलाता है और धारा 4 के तहत उत्पाद शुल्क का दायित्व आकर्षित होता है।

16. यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, [1986] 2 एस.सी.सी. 547 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उत्पाद शुल्क को आकर्षित करने के लिए, निर्मित वस्तु उपभोक्ता को बेचने में सक्षम होनी चाहिए। माल बनने के लिए, एक वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो आम तौर पर खरीदने और बेचने के लिए बाजार में आ सकती है।

17. भारत संघ और अन्य में वी. जे. जी. ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य, [1998] 2 एस. सी. सी. 32 में इस न्यायालय द्वारा प्रमुख निर्णयों पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह तय करने के लिए कि प्रक्रिया निर्माण है, दो चरणों का परीक्षण उभर कर सामने आता है।

18. न्यायालय ने पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद कहा:

"उपरोक्त निर्णयों के विश्लेषण पर, एक दो स्तरीय परीक्षा यह निर्णित करने के लिए सामने आती है कि क्या उक्त प्रक्रिया निर्माण है। प्रथम यह कि क्या उक्त प्रक्रिया से कोई भिन्न वाणिज्यिक वस्तु अस्तित्व में आती है या क्या मूल वस्तु की पहचान समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या वह वस्तु जो पहले से ही अस्तित्व में थी, उक्त प्रक्रिया के अलावा किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में कहें कि क्या जो वस्तु पहले से अस्तित्व में है, उसका उक्त प्रक्रिया के लिए वाणिज्यिक उपयोग नहीं होगा"।

19. वर्तमान मामले में, निर्धारिती न केवल सिंचाई नलिकाओं के उत्पादन के लिए एल्यूमीनियम बिलेट का आकर्षक रूप से उपभोग कर रहा है बल्कि उक्त वस्तु को खुले बाजार में बेच भी रहा है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 'निर्माण' की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नई वाणिज्यिक वस्तु का उदय होता है, जो 'बिलेट्स' है। उक्त वस्तु की एक स्वतंत्र विपणन क्षमता है और निर्धारिती ने स्वयं उत्पाद शुल्क का भुगतान करके खुले बाजार में बिलेट्स बेचे हैं।

20. प्रविष्टि यह भी स्पष्ट करती है कि जो अध्याय 76 के तहत है। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

अध्याय 76

शीर्षक नंबर उप-शीर्षक नंबर वस्तुओं का विवरण शुल्क की दर संख्या

21. इस प्रकार इनगोट्स और बिलेट्स दो अलग-अलग वाणिज्यिक वस्तुएँ हैं, जिनके पास अलग, विशिष्ट और पहचान योग्य विपणन क्षमता और बिक्री क्षमता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारिती ने एल्यूमीनियम बिलेट्स का आकर्षक तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन वह खुले बाजार में भी बिक रहा है। इसलिए हमारा विचार है कि आयुक्त यह अभिनिर्धारित करने में सही थे कि निर्धारिती उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था तथा मूल आदेश में सी.ई.जी.ए.टी. का हस्तक्षेप करना गलत है। इसलिए सी.ई.जी.ए.टी.के आदेश को अपास्त किये जाने योग्य है।

22. उपरोक्त उल्लेखित कारणों से अपील स्वीकार की जानी चाहिए और तदनुसार स्वीकार जाती है। सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है और आयुक्त द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

23. तथापि, निर्धारिती के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उस मामले में निर्धारिती एम.ओ.डी.वी.ए.टी. लाभों का हकदार होगा। यदि ऐसा है, तो निर्धारिती उक्त लाभ का दावा कर सकता है। हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इस अपील में सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना निर्धारिती के लाभ का दावा करने और प्राप्त करने के रास्ते में नहीं आएगा, अगर वह अन्यथा हकदार है।

24. अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है, जिसमें खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं दिया है।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिवानी सिंह, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।